Dy
[illegible]

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>मुन्तकिली प्रकरण संख्या 56/2021 (GCMS : 2021/167)</u>

1. कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दन लाल जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर — — — **प्रार्थी**

<u>बनाम</u>

1. बिदामी देवी पत्नी स्व. लिखमीचन्द जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवालाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सरस्वती पुत्री स्व. लिखमीचन्द पत्नी रोहिताश जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल गांव कन्धवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. सरोज पुत्री स्व. लिखमीचन्द पत्नी जगदीव जी सोखल जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल गांव खींपावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. मधुसूदन बिहाणी पुत्र स्व. सुशील कुमार बिहाणी निवासी दयानन्द मार्ग, श्रीगंगानगर
5. कमला पत्नी स्व. श्री कुन्दनलाल जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. ममता पुत्री स्व. श्री कुन्दनलाल जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल गांव तेलुपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. सुमन पुत्री स्व. श्री कुन्दनलाल पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार निवासी गांव 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल गांव साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर — — — **अप्रार्थीगण**

<u>18.05.2022</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री खुशपिन्द्र सिंह उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण [illegible] वगै. प्रकरण संख्या 77/2012 व विविध प्रकरण संख्या 92/20[illegible] अन्तर्गत धारा 88, [illegible]188

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। उनका यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी कमला बनाम बादामी वगै. प्रकरण संख्या 77/2012 व विविध प्रकरण संख्या 92/2019 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी ने कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए **यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:07 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर